तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 758(अ), तारीख 23 सितंबर, 2003, सा.का.नि. 288(अ), तारीख 13 मई, 2005 सा.का.नि. 59(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 521(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2007 सा.का.नि. 741(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2011 सा.का.नि. 845(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011 और सा.का.नि. 322(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 और सा.का.नि. 399(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Monthly Income Account Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Monthly Income Account (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Post Office Monthly Income Account Rules, 1987,

(i) rule 6 shall be omitted.

(ii) in rule 8, in sub-rule (3), the following proviso should be inserted namely:—

"Provided that in case the account stands at the post office working on Core Banking platform and if so authorised, interest payable monthly shall be credited by the post office in the savings account of the depositor standing at any such post office or any branch of a bank."

[F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide *G.S.R. 701(E),* dated the 10th August, 1987, and subsequently amended *vide:* - G.S.R. 805(E), dated the 21st July, 1988, G.S.R. 46(E), dated the 20th January, 1989, G.S.R. 581(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 430(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 390(E), dated the 29th April, 1993, G.S.R. 585(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 45(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2000, G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000, G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 350(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 758(E), dated the 23rd September, 2003, G.S.R. 288(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 59(E), dated the 10th February, 2006, G.S.R. 521(E), dated the 1st August, 2007, G.S.R. 763(E), dated the 8th December, 2007, G.S.R. 741(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 845(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 322(E), dated the 25th April, 2012 and G.S.R. 399 (E), dated the 25th June, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 224(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 में,-

(क) नियम 5 के उपनियम (i) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् :—

(i) ''(क) नकद में, यदि जमा की रकम एक लाख रुपये तक है;

''(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा :--

''(ग) किसी इलेक्ट्रानिकी ढंग द्वारा यदि खाता कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले जमा कार्यालय में खोला गया है । ''

(ख) नियम 7 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् :--

(i) 7 (2) "ब्याज यथास्थिति जमा की तारीख से 31 मार्च/30, जून/30, सितंबर/31 दिसंबर को पहले अवसर पर अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के पहले कार्य दिवस को संदेय होगा और तत्पश्चात् ब्याज अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के पहले कार्य दिवस को संदेय होगा ।

(ii) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोर बैंककारी मंच पर कार्य करने वाले जमा कार्यालय में नियम (2) में विनिर्दिष्ट शोध्य तारीखों को कोई ब्याज संदेय है तो उसे जमा कार्यालय द्वारा जमाकर्ता के किसी ऐसे जमा कार्यालय या बैंक की किसी शाखा में बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा ।"

[फा. सं. 2/7/2012/एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण - वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 490(अ) तारीख 2 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 706(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2004, सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 23 मार्च, 2006, और सा.का.नि. सं. 390(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 639(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010, सा.का.नि. सं. 770(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. सं. 321(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, और सा.का.नि. सं. 402(अ), तारीख 25 जून, 2013, द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, 13th March, 2014

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004 —

(a) in rule 5, in sub-rule (i), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely”—

(i) “(a) In cash, if the amount of deposit is up to rupees one lakh;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted namely:—

“(c) by any electronic mode if the account is opened in a deposit office working on Core Banking Solution platform.”

(b) In rule 7 for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(i) 7 (2) “Interest shall be payable from the date of deposit to 31st March/30th, June/30th, September/31st December on 1st working day of April/July/October/January as the case may be, in the first instance and thereafter, interest shall be payable on 1st working day of April/July/October/January.

(ii) in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided that where deposit office is working on Core Banking platform, interest payable on due dates as specified in rule (2), shall be credited by the deposit office in the savings account of the depositor standing at any such deposit office or any branch of a bank."

[F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide notification number G. S. R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended *vide* G.S.R. 706(E), dated the 27th October, 2004, G.S.R 176(E), dated the 23rd March, 2006, G.S.R. 390(E), dated the 24th May 2007, G.S.R. 639 (E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R. 321(E) dated the 25th April 2012 and G.S.R. 402 (E), dated the 25th June 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 225(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1868 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लोक भविष्य निधि स्कीम के पैरा 4 के उप पैरा (1), (2), (3), और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :--

" 4 (1) प्रत्येक व्यष्टिक जो पहली बार स्वयं या किसी अवयस्क के लिए जिसका वह संरक्षक है स्कीम के अधीन निधि में प्रतिदाय का इच्छुक है प्रारंभिक अंशदान जो कम से कम 100 रुपये होगा के साथ प्ररूप क में लेखा कार्यालय को आवेदन करेगा

(2) उपपैरा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर लेखा कार्यालय अंशदाता के नाम से एक खाता खोलेगा और उसे एक पास बुक जारी करेगा जिसमें जमा, निकासी, ऋण और पुन:अदायगी पर शोध्य ऋण के साथ सभी रकमों को लेखा अधिकारी के तारीख की मुहर के साथ हस्ताक्षर होंगे :

परंतु कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले डाकघर की दशा में लेखा अधिकारी के विवेक पर पासबुक के स्थान पर लेखे का एक विवरण जारी किया जाएगा ।

(3) अंशदाता अपने अंशदान को प्ररूप (ख) में चालान के साथ या उसके समीप यथा संभव लेखा अधिकारी के पास जमा करेगा और चालान का प्रतिपरण लेखा अधिकारी द्वारा पावती के साक्ष्य के साथ जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा । चैक, ड्राफ्ट या पे-आर्डर द्वारा जमा की दशा में, लेखा अधिकारी आगतों की प्राप्ति के लंबन के दौरान पेपर टोकन जारी करेगा ।

(4) प्रत्येक अंशदान लेखा अधिकारी के पक्ष में उस स्थान में जहां कार्यालय अवस्थित है, नकद, या क्रास किए गए चैक या ड्राफ्ट या पे-आर्डर द्वारा किया जाएगा:

" परंतु जहां लेखा कार्यालय कोर बैंककारी मंच पर कार्य करता है तो प्रत्येक अंशदान किसी कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले लेखा कार्यालय में नकद, चैक, ड्राफ्ट, पे-आर्डर या किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से किया जाएगा । "

[फा.सं. 2/7/2012/एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव